न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 36 / 2021

अपीलार्थी–   ***बनाम***   **उत्तरदाता–**

जयसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी उण्डू तहसील शिव जिला बाड़मेर

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव
2. किशोरसिंह पुत्र चैनाराम जाति जाट निवासी उण्डू तहसील शिव जिला बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.03.2017 जो उत्तरदाता संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत संपरिवर्तन प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री बालाराम गोदारा, अधिवक्ता उत्तरदाता संख्या 2 की ओर से उपस्थित।
3. उत्तरदाता संख्या 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 20.09.2022

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार शिव द्वारा उत्तरदाता संख्या 2 के कृषि भूमि संपरिवर्तन प्रार्थना–पत्र पर पारित आदेश दिनांक 28.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन नियम, 2007 के तहत निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना–पत्र तहसीलदार शिव के समक्ष प्रस्तुत कर मौजा उण्डू के खसरा नम्बर 1190 / 1035 रकबा 0–10 बिस्वा अपनी खातेदारी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:46:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार शिव द्वारा उत्तरदाता संख्या 2 के प्रार्थना–पत्र पर हल्का पटवारी से मौका कब्जा एवं रेकर्ड की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट ली गई एवं प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना–पत्र आदेश दिनांक 28.03.2017 के द्वारा स्वीकार कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 27.09.2021 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा अपीलाधीन भूमि के पास अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1190/1035 रकबा 13–10 बिस्वा में से 325.16 वर्गमीटर भूमि का संपरिवर्तन करवाने हेतु तहसीलदार शिव के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर तहसीलदार शिव द्वारा अपीलाधीन भूमि की भौतिक स्थिति मंगवाये बिना ही रेस्पोडेंट संख्या 2 से अनुचित रूप से प्रभावित होकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा राजस्व रेकर्ड में अंकित रकबे के विरूद्ध जाकर भौतिक रूप से गैर मुमकिन बेरे की भूमि पर अतिक्रमण करने पर आमादा है। अपीलाधीन भूमि की सही तरमीम करवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष प्रस्तुत आवेदन 290/2018 अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में तहसीलदार शिव के मार्फत मंगवाई मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि खसरा नंबर 549 रकबा [illegible] में सही अंकित है किन्तु लट्ठा ट्रेस में खसरा नं[illegible]3–05 बीघा भूमि ही आती है। इससे स्पष्ट है [illegible]4–05 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में विद्यमान है पर राजस्व लट्ठा ट्रेस में क[illegible] तरमीम होने के कारण पास की भूमि पर पड़ौसी खातेदारान भौतिक रूप से अतिक्रमण करने की फिराक में

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:46:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

है। अपीलाधीन भूमि की सही तरमीम करने हेतु एक अपील संभागीय आयुक्त जोधपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन भूमि की पूर्णतया पैमाईश करने के पश्चात ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित था जबकि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा आनन–फानन में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो पूर्णतया विधि–विरूद्ध एवं न्याय के मूलभूत एवं प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरूद्ध जाकर पारित किया है जो निरस्त योग्य है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे तथा अपीलाधील आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलाधीन खसरे की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश प्रदान करावें।

5. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह भी निवेदन किया कि अर्सा दो माह पूर्व रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा अपीलाधीन भूमि पर निर्माण सामग्री डलवाई तब अपीलांट द्वारा निर्माण कार्य का विरोध किया गया। तत्समय रेस्पोडेंट द्वारा अपीलाधीन भूमि के संपरिवर्तन आदेश की प्रति बताकर कहा कि यह उसकी आवासीय भूमि उसकी है जिस पर वह निर्माण कर रहा है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ–पत्र प्रस्तुत की जा रही है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे।

6. रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से जवाब में निवेदन किया गया कि रेस्पोडेंट द्वारा अपनी स्वयं की खातेदारी की कब्जाशुदा एवं तरमीमशुदा भूमि का नियमानुसार संपरिवर्तन हेतु तहसीलदार शिव के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिस पर नियमानुसार संपरिवर्तन शुल्क अदा कर आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया गया। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट की उक्त खातेदारी भूमि में अपने किसी प्रकार के हक–अधिकार होना साबित नहीं किया है। जहां तक तरमीम का प्रश्न है तो उसके लिए उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष तरमीम दुरूस्ती हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया था जो चलने योग्य नहीं होने से आदेश दिनांक 04.07.2019 द्वारा खारिज किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 2 के खाते में दर्ज भूमि से मौके पर कम ही उपलब्ध है ऐसे में रेस्पोडेंट द्वारा अधिक भूमि पर कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:46:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अपीलांट द्वारा महज रेस्पोडेंट को परेशान एवं खर्चे से बर्बाद करने के उद्देश्य से यह अपील प्रस्तुत की गई है जो सारहीन होने से मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

7. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन नियम, 2007 के तहत निर्धारित फॉर्म–क में एक प्रार्थना–पत्र तहसीलदार शिव के समक्ष प्रस्तुत कर मौजा उण्डू के खसरा नम्बर 1190/1035 रकबा 13–10 बिस्वा अपनी खातेदारी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाने हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार शिव द्वारा उत्तरदाता संख्या 2 के प्रार्थना–पत्र पर हल्का पटवारी से मौका कब्जा एवं रेकर्ड की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट ली गई एवं प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना–पत्र आदेश दिनांक 28.03.2017 के द्वारा स्वीकार कर दिया। अपीलांट के अधिवक्ता का कथन है कि तहसीलदार शिव द्वारा अपीलाधीन भूमि की भौतिक स्थिति मंगवाये बिना ही रेस्पोडेंट संख्या 2 से अनुचित रूप से प्रभावित होकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा राजस्व रेकर्ड में अंकित रकबे के विरूद्ध जाकर भौतिक रूप से गैर मुमकिन बेरे की भूमि पर अतिक्रमण करने पर आमादा है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष विचारित राजस्व आवेदन संख्या 290/2018 में तलब की गई मौका जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट आया है कि खसरा नंबर 1035/548 के खातेदार पूर्व में कराये गये सीमाज्ञान एवं सीमाओं के निर्धारित बिन्दुओं के अन्दर ही काबिज हैं तथा खसरा संख्या 549 की सीमाओं में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा रहा है। उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा उक्त तरमीम दुरूस्ती के आवेदन पत्र के निर्णय में अंकित किया है कि खसरा नंबर 549 एवं 548 वक्त सेटलमेण्ट से पृथक पृथक दर्ज है तथा तरमीम भी वक्त सेटलमेण्ट पृथक अंकित हैं। भू–प्रबंध के समय से की गई तरमीम में किसी प्रकार का रद्दोबदल नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। इस

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:46:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रकार रेस्पोडेंट संख्या 2 की खातेदारी भूमि की अवस्थिति एवं खातेदारी के संबंध में अधिवक्ता अपीलांट कोई प्रतिकूल तथ्य साबित नहीं कर पाये हैं। जहां तक सार्वजनिक भूमि पर रेस्पोडेंट की ओर से कोई अतिक्रमण कर निर्माण कराया गया है तो उसके लिए तहसीलदार जांच कर उचित कार्यवाही कर सकेंगे। फलतः अपीलांट की यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से काबिल खारिज है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:46:54 IST
Reason: SelfAttested